OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (HQ)

NAGAR NIGAM JAIPUR HERITAGE
NOTICE INVITING E – BID FOR WORKS

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्या 61/2024-25

Enclose In Bid Document

Detailed NIB	
Name & address of the procuring entity	➢ Nagar Nigam Jaipur Heritage ➢ Address: XEN (HQ) Old PHQ Building, Behind Hawamahal, Badi Chopar Jaipur.
Subject matter of procurement	Jaipur Festival (Grand Finale) Culture Programme
Bid procedure	Single-Stage Two Part Open Competitive E-Bid
Bid evaluation criteria (selection method)	Least Cost Based Selection (LCBS)-L1
Websites for downloading bidding document, corrigendums, addendums, etc.	websites: www.sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in, www.jaipurmcheritage.org
Website for online bid application Participation and payment *	➢ Website: www. jaipurmcheritage.org ➢ For participating in the bid, the bidder has to apply for this bid and pay the bidding document fee, RISL processing fee online and bid security only. Bidding Document Fee: Rs. 590.00 With 18% GST. • MDRISL Processing Fee: Rs. 500.00 (Rupees One Thousand Only) • Bid Security Rs.32,000/-
Estimated procurement cost	➢ INR 16.00 Lakh (Rupees Sixteen Lakhs Only) ➢
Bid security deposit (EMD) 2% & 0.5%	➢ Rs. 32000/- & Rs. 8000/-
Applying bid and making online payment on Nagar Nigam portal (www.jaipurmcheritage.org)	➢ Start Date & Time: 30.10.2024- 06:00 PM
Bid submission on e-procurement portal of GOR (www.eproc.rajasthan.gov.in)	➢ Start Date & Time:30.10.2024 - 06:00 PM ➢ End Date & Time04.11.2024 - 01:00 PM
Date/ time/ place of technical bid opening	➢ Date & Time: 04.11.2024 – 03:00 AM ➢ Nagar Nigam Jaipur Heritage
Date/ time/ place of financial bid opening	➢ Will Be Intimated Later To The Technically Qualified Bidders
Bid validity	➢ 90 Days From The Bid Opening Date

* Nagar Nigam Jaipur Heritage has decided to receive bid fee, bid security and RISL processing fee online through Nagar Nigam Jaipur Heritage website/portal.

XEN (HQ)
NAGAR NIGAM JAIPUR HERITAGE

RajKaj Ref
11508901

Signature Not Verified

Digitally signed by Subodh Kumar Nadeshwari
Designation : Executive Engineer
Date: 2024.10.30 11:30:49 IST
Reason: Approved

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (HQ)

NAGAR NIGAM JAIPUR HERITAGE
NOTICE INVITING E – BID FOR WORKS

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्या 61/2024-25

नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा जयपुर समारोह 2024 के उपलक्ष्य में आयोजित किये जा रहे कार्यक्रम हेतु निविदा प्रपत्र में अंकित अनुसार निर्धारित प्रपत्र में ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है:–

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखों में)	अमानता राशि 2% एवं (0.5% निगम में रजिस्टर्ड फर्म हेतु)	निविदा शुल्क	MD-RISL Fees	निविदा प्रकाशित करने की तिथि	निविदा अपलोड करने की तिथि	निविदा डाउनलोड/अपलोड करने की अंतिम तिथि व समय	निविदा खोलने की तिथि व समय
1.	जयपुर उत्सव (ग्रैंड फिनाले) सांस्कृतिक कार्यक्रम।	16.00	Rs. 32000/- & Rs. 8000/-	500 18% GST 590/-	500	30.10.2024 6.00 PM	30.10.2024 6.00 PM	4.11.24 04.1[illegible].2024 01.00 PM	4.11.24 04.1[illegible].2024 03.00 AM

Pre Qualification Criteria

1.	फर्म का नाम व पता टेलीफोन नं0 ई–मेल पता	
2.	फर्म की स्थिति एकाकी/पार्टनरशिप/प्रा.लि./क0 आदि	
3.	फर्म का पैनकार्ड नं.	प्रति संलग्न करें।
4.	GST Certificate (प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करे।)	प्रति संलग्न करें।
5.	आवेदन शुल्क की राशि, MDRISL Fees एवं अमानता ऑनलाईन जमा राशि	वेबसाईट पर जमा रसीद की प्रति संलग्न करें।

Technical Proposal Data Sheet

1.	गत वर्ष 2023–24 में फर्म का न्यूनतम टर्न ऑवर 01 करोड़ होना आवश्यक है।	दस्तावेज की प्रति संलग्न करें।
2.	फर्म को न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है।	दस्तावेज की प्रति संलग्न करें।
3.	किसी राजकीय/अर्धराजकीय संस्था में सिंगर/डांस/लाफ्टर/कवि सम्मेलन/भजन कार्यक्रम या समान प्रकृति के 4–5 कार्यक्रमों के अनुभव प्रमाण पत्र सलंग्न करना अनिवार्य होगा।	स्वयं द्वारा प्रमाणित दस्तावेज की प्रति संलग्न करें।
4.	किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थान में फर्म ब्लेक लिस्ट नहीं होनी चाहिए जिसका 100 रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ–पत्र देना अनिवार्य है।	प्रति संलग्न करें।
5.	निविदादाता फर्म केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या अन्य सरकारी संस्थान द्वारा रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।	प्रति संलग्न करें।
6.	ANNEXURE'S A,B,C,D,E हस्ताक्षर कर संलग्न करें।	प्रति संलग्न करें।

RajKaj Ref
11508901

Signature Not Verified
Digitally signed by Subodh Kumar Nadeshwari
Designation : Executive Engineer
Date: 2024.10.30 11:30:49 IST
Reason: Approved

जयपुर समारोह 2024 के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम की प्रस्तुति हेतु इवेन्ट कम्पनी / फर्म / एजेंसी / कलाकार चयन करने हेतु निर्धारित शर्ते

1. निविदा की प्रक्रिया पूर्णतयाः ऑन–लाईन होगी तथा किसी भी प्रकार के दस्तावेज, भुगतान ऑफ लाईन स्वीकार नहीं किये जायेगा।
2. आवेदित फर्म द्वारा अपने लेटर हैड पर निविदा के संबंध में नियुक्त अधिकृत व्यक्ति का विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
3. बोली अमानता राशि 02 प्रतिशत की दर से निविदा अनुसार निविदादाताओं को निविदा शुल्क / बोली प्रतिभूति एवं प्रोसेसिंग फीस ऑन लाईन नगर निगम जयपुर की वेबसाइट www.jaipurmcheritage.org पर Submission Date and time से पूर्व जमा करवाकर उससे प्राप्त होने वाली रसीद एवं समस्त निविदा दस्तावेज अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित कर www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने पर ही निविदा को मान्य किया जावेगा।
4. सफल निविदादाता द्वारा आरटीपीपी एक्ट के अनुसार परफॉर्मेन्स सिक्यूरिटी 05 प्रतिशत कार्यादेश दिनांक से तीन दिवस में बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक के जरिये जमा करवाना होगा।
5. निविदा प्रपत्र को इलेक्ट्रोनिक फोर्मेट में वेबसाईट **www.eproc.rajasthan.gov.in** पर दिनांक 28.10.2024 को सायं 06:00 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं। प्राप्त निविदाऐं इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में वेब साईट **www.eproc.rajasthan.gov.in** पर आयुक्त नगर निगम जयपुर हैरिटेज के कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं व उनके प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक ~~[illegible].2024~~ 4.11.24 को प्रात 11:00 बजे को निर्धारित समय पर खोली जावेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जावेगी।
6. किसी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार महापौर / आयुक्त, नगर निगम जयपुर हैरिटेज के पास सुरक्षित है।
7. कम्पनी / फर्म / एजेंसी द्वारा स्वीकृत की गई राशि में कार्यक्रम नहीं किये जाने की दशा में धरोहर राशि जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
8. कार्यक्रम का सम्पूर्ण विवरण मुख्य कलाकार का नाम, सहकलाकारो की संख्या, म्युजिशयन की संख्या सहित पूर्ण विवरण अंकित करना होगा। (ANNEXURE 'E')
9. किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज से प्राप्त की जा सकती है।
10. प्रत्येक कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम 3 घंटे होगी। कार्यक्रम पूर्ण नहीं करने पर भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. कार्यक्रम निर्धारित समय पर प्रारम्भ करना होगा। कार्यक्रम की तारीख के दिन कलाकार दोपहर 12:00 बजे तक आवश्यक रूप से जयपुर पहुंच जाये, इसकी सुनिश्चितता निविदादाता स्वयं करेंगा तथा इसकी सूचना प्रभारी अधिकारी को दी जावें, ताकि कार्यक्रम की प्रस्तुति में अनावश्यक विलम्ब नही होवें। कलाकारों को कार्यक्रम स्थल तक निर्धारित समय से पूर्व लाने की जिम्मेदारी निविदादाता स्वयं की होगी।
12. संस्था / इवेंट कम्पनी द्वारा मंच की गरिमा के अनुसार कार्यक्रम करना होगा, कार्यक्रम में किसी प्रकार का अश्लील प्रदर्शन व अंग प्रदर्शन, विवादित / गैर मर्यादित टिप्पणी भी नहीं होगी तथा अनियमितता पाये जाने पर किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. संस्था को स्वयं को अपने स्तर पर कलाकारो को ठहराने की आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था करनी होगी। निविदादाता द्वारा कलाकारो के ठहरने के स्थान की सूचना लिखित में निगम कार्यालय की राजस्व अधिकारी मुख्यालय शाखा में देनी होगी निविदादाता को स्वयं के स्तर पर कलाकारो को (आवास से मंच तक लाने व ले जाने) की एवं सुरक्षा एवं क्षति सम्बन्धी व्यवस्था करनी होगी। कलाकार को होने वाली क्षति पर निविदादाता की जिम्मेदारी होगी, निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
14. किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या किसी कारणवश कार्यक्रम नही हो पाने पर संस्था / इंवेट कम्पनी को नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
15. कार्यादेश पत्र जारी होने के पश्चात संस्था / इवेंट कम्पनी को 500 / – रूपये के स्टाम्प पेपर पर कार्यक्रम का अनुबंध 2 दिवस में करना अनिवार्य होगा कलाकार का नाम तय होने के उपरान्त अन्दर मियाद एक दिन में कलाकार का सहमति पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही कार्य [illegible] कलाकार का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर कार्यादेश जारी नहीं किया जायेगा।
16. प्रस्ताव के साथ कलाकारो की फोटो व उनके द्वारा गत वर्ष में सम्पादित [illegible] संलग्न करनी होगी। कलाकार व सहकलाकार के अनुबन्ध में दिये गये विवरण अनुसार ही कार्य [illegible] प्रस्तुत करना होगा डुप्लीकेट व अन्य कलाकार लाने की स्थिति में संस्था को ब्लेक [illegible] का भुगतान नही किया जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

Rajkiya
11508991

Signature Not Verified
Digitally signed by Subodh Kumar Nadeshwari
Designation : Executive Engineer
Date: 2024.10.30 11:30:49 IST
Reason: Approved

17. किसी प्रकार का विवाद होने पर न्यायिक क्षैत्र जयपुर शहर, जयपुर, राजस्थान होगा।
18. जी.एस.टी., पेन न. व आधार कार्ड की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
19. नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा केवल स्टेज व साउण्ड सिस्टम उपलब्ध करवाया जायेगा एवं म्यूजिशियन, एंकर एवं अन्य की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं के स्तर पर करनी होगी।
20. रंगमंच एवं मेकअप रुम में कार्यक्रम देने वाले कलाकारों के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जावेगा। कलाकार के परिवार के सदस्य भी दर्शक दीर्धा में बैठेगें।
21. निगम की उपापन समिति प्राप्त निविदाओं पर विचार कर जो निर्णय लेगी समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा। चयनित निविदादाता को कार्यक्रम की तिथि एवं समय की सूचना पृथक से निविदादाता को सूचित कर दी जावेगी। निगम द्वारा दी गई तिथि एवं समय पर ही निविदादाता को कार्यक्रम देना होगा। मंच या मेकअप रुम में कार्यक्रम के दौरान किसी भी कलाकार द्वारा कोई भी नशा या मादक पदार्थो का सेवन करते पाया गया तो सुरक्षाकर्मीयों द्वारा उसे तत्काल बाहर निकाल दिया जाएगा तथा संस्था को ब्लेक लिस्टेड एवं उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।
22. यदि कोई निविदादाता निर्धारित समय से पूर्व कार्यक्रम समाप्त करता है, तो निविदादाता का भुगतान अनुपातिक प्रतिशत में काट लिया जावेगा।
23. चयनित निविदादाता को चयन, कार्यक्रम करने की तिथि, दिवस व समय की सूचना पृथक से दी जायेगी। निगम द्वारा दी गई तिथि व दिवस के दिन संस्था को अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा।
24. नगर निगम द्वारा निविदादाता को किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि देय नहीं होगी।
25. मुख्य कलाकार का न्यूनतम प्रस्तुतीकरण समय डेढ घण्टा रहेगा। इससे कम समय तक प्रस्तुतीकरण करने पर भुगतान में अनुपातिक कटौती की जावेगी।
26. इवेन्ट / कम्पनी / फर्म / कलाकार को चयन समिति के समक्ष कार्यक्रम की सी.डी. के माध्यम से प्रदर्शित करना होगा।
27. प्रत्येक कार्यक्रम हेतु मुख्य कलाकार, सहायक कलाकार एवं म्युजिशियन कलाकार का विवरण आवेदन के साथ पृथक से प्रस्तुत करना होगा।
28. इवेन्ट कम्पनी / एजेन्सी द्वारा दरें जीएसटी व अन्य सभी खर्चों सहित प्रस्तुत करनी होगीं तथा भुगतान के लिये बिल प्रस्तुत करना होगा।
29. सफल निविदादाता द्वारा 24 घण्टे में संदर्भित कलाकारों की कार्यक्रम करने की स्वीकृति व उनके द्वारा ही सम्पादित किये जाने की पुष्टि हेतु 10 से 20 सैकंड का अल्पकालिक विडियो मय ऑडियो क्लिप भी उपलब्ध करवाना आवश्यक होगा।

अधिशाषी अभियन्ता (मु0)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

RajKaj Ref
11508901

Signature Not Verified

Digitally signed by Subodh Kumar Nadeshwari
Designation : Executive Engineer
Date: 2024.10.30 11:30:49 IST
Reason: Approved

राजस्थान राज्य लोक उपापन में पारदर्शिता नियम

1. जिन बिन्दुओं के संबंध में कुछ नही कहा गया है एवं संपूर्ण निविदा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजथान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अधीन होगी।
2. बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि :– जयपुर समारोह 2024 की समाप्ति दिनांक 18.11.2024 तक।
3. विलम्ब से प्राप्त बोलियां :– बोलियां प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसी किसी भी बोली को प्राप्त नहीं करेगा जो बोलियां प्रस्तुतीकरण के लिये नियत समय और तारीख के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई हों। कोई भी बोली, जो बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिये अन्तिम समय सीमा के पश्चात् को "विलम्ब से प्राप्त" के रूप में चिह्नित और घोषित किया जाएगा और बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बोली लगाने वाले को लौटा दी जावेगी।
4. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार :– उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्त्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं।
5. बोली प्रतिभूति :– प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 05 प्रतिशत होगीं। बोली प्रतिभूति नकद, बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी या सरकारी विभागों की दशा में ई. जी. आर. एस. के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल्य या बढ़ायी गई विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिये।
6. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में जब्त (ForFit) कर दी जाएगी, अर्थात
   (क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है।
   (ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।
   (ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।
   (घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
   (ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।
7. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है, या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।
8. उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चात बोली प्रतिभूति को तत्परता से लौटा देगी, अर्थात् :–
   (1) बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के अवसान पर।
   (2) सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिये करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर।
   (3) उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर, या
   (4) बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम समय – सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर जब तक कि बोली दस्तावेजों में यह अनुबंध नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण अनुज्ञात नहीं किया गया है।
9. करार का निष्पादन :–

(1) कोई उपापनी संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत होगी, जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।

(2) सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहॉं बोली दस्तावेज में कोई कालावधि निविर्दिष्ट नहीं की गयी हो वहां उस तारीख से 3 दिवस के भीतर, जिस पर सफलबोली लगाने वाले को स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है, उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है विनिर्दिष्ट लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अनुसार कारवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामले में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रिया के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally Signed by Subodh Kumar Nadeshwari
Designation : Executive Engineer
Date: 2024.10.30 11:30:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref 11508981

न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

(4) बोली लगाने वाले को उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करने के लिए कहा जायेगा।

10. बोली दस्तावजों में परिवर्तन :– बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम समय–सीमा से पूर्व भी समय उपापन संस्था किसी कारण से चाहे स्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण के लिए किसी अनुरोध के परिणामस्वरुप धारा 23 के उपबंधों के अनुसार जारी करके बोली दस्तावेजों को उपांतरित कर सकेगी।

11. The contractor shall follow the contractor labour regulation and abolition Act 1970 & Rules 1971.

12. **Refund of P.G. –**

The Security Deposit will be release in after succesfull completion of event and final payment.

13. **Additional Conditions of Contract**

Correction of arithmetical errors

(i) Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

(ii) If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

(iii) If the Bidder that submitted the lowest evaluated bid does not accept the correction of errors, its bid shall be disqualified and its bid security shall be forfeited or its bid securing declaration shall be executed.

14 करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

15 सफलतम बोलीदाता को बोली प्रतिभूति राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप मे समायोजित की जायेगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति कार्यादेश राशि की 5 प्रतिशत होगी।

16 जुर्माना :–

(क) वितीय बोलियो के सुनने के पश्चात् उपापन प्रकिया से हटता है।

(ख) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने पश्चात् बोली लगाने वाले दस्तावेज के निबंधनो में अपेक्षित कार्य संपादन प्रतिभूति या कोई अन्य दसतावेज या प्रतिभूति उपलब्ध करवाने मे वैद्य आधारो के बिना असफल रहता है तो वह बोली लगाने वाले दस्तावेजो या सविदां में अविलम्ब के अतिरिक्त ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो उपापन के निर्धारित मूल्य के 05 प्रतिशत जो भी कम हो तक का हो सकेगा तथा विवर्जित (Debarred) किया जावेगा। फर्म को उस तारीख जिसको वह विवर्जित (Debarred) किया गया उससे निगम की उपापन प्रकिया में भाग लेने योग्य नही होगा।

अधिशाषी अभियन्ता (मु0)
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

RajKaj Ref
11508901

Signature Not Verified

Digitally signed by Subodh Kumar Nadeshwari
Designation : Executive Engineer
Date: 2024.10.30 11:30:49 IST
Reason: Approved

Annexure 'A'

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:-

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid anobligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurementprocess;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurementprocess;

(g) disclose conflict of interest, if any;and

(h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws andregulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limitedto:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them;or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process;or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid;or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparationofthedesignortechnicalspecificationsoftheGoods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultantfor thecontract.

Signature of Bidder with Stamp

RajKaj Ref
11508901

Signature Not Verified

Digitally signed by Subodh Kumar Nadeshwari
Designation : Executive Engineer
Date: 2024.10.30 11:30:49 IST
Reason: Approved

Annexure 'B'

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ……………………… for procurement of ………………………… in response to their Notice Inviting Bids No…………… Dated…………. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the ProcuringEntity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the BiddingDocument;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoingreasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarmentproceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects faircompetition;

Date: Signature of bidder

Place: Name:

Designation:

Address:

Signature Not Verified

RajKaj Ref
11508901

Digitally signed by Subodh Kumar Nadeshwari
Designation : Executive Engineer
Date: 2024.10.30 11:30:49 IST
Reason: Approved

Annexure 'C'

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ....

The designation and address of the Second Appellate Authority is........................
....

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to beacceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of theappeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entityis aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case maybe.

(4) Appeal not to lie in certaincases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters,namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bidprocess;
(c) the decision of whether or not to enter intonegotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions ofconfidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed again[illegible] affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of [illegible]

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Secon[illegible]ppellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

Signature Not Verified
RajKaj Ref
Digitally signed by Subodh Kumar Maheshwari
Designation : Executive Engineer
Date: 2024.10.30 11:30:49 IST
Reason: Approved

(6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authorityconcerned.

(7) **Procedure for disposal ofappeal**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be,shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him;and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free ofcost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public ProcurementPortal.

Signature of Bidder with Stamp

RajKaj Ref
11508901

Signature Not Verified

Digitally signed by Subodh Kumar Nadeshwari
Designation : Executive Engineer
Date: 2024.10.30 11:30:49 IST
Reason: Approved

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of theappellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)

   (ii)

   (i)

3. Number and date of the order appealedagainst
   and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omissionofthe Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to berepresented
   by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with theappeal:

6. Grounds of appeal ....

....

....(Supported by an affidavit)

7. Prayer: ....

....

....

....

Place ....

Date.......................................   **Appellant's Signature**

RajKaj Ref
11508901

Signature Not Verified

Digitally signed by Subodh Kumar Nadeshwari
Designation : Executive Engineer
Date: 2024.10.30 11:30:49 IST
Reason: Approved

Annexure 'D'

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmeticalerrors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall becorrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected;and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be for feited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to VaryQuantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. How- ever, when it is considered that the quantity of the subject matterof procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of Bidder with Stamp

Signature Not Verified

RajKaj Ref
11508901

Digitally signed by Subodh Kumar Nadeshwari
Designation : Executive Engineer
Date: 2024.10.30 11:30:49 IST
Reason: Approved

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (HQ)
JAIPUR MUNICIPAL CORPORATION, JAIPUR HERITAGE
JALEBI CHOWK, BADI CHOPAD, JAIPUR

Name Of Work:- जयपुर उत्सव (ग्रैंड फिनाले) सांस्कृतिक कार्यक्रम।

H-SCHEDULE

NON SOR ITEM

S. No.	Items	Qty.	Unit	Rate to be quoted	Amount
1	फिनाले परफॉर्मेंस	1	Each		

Executive Engineer (HQ)
Nagar Nigam Jaipur Heritage

I/ We hereby accepted rates
Part _______________________Rate to be quoted

Signature of the contractor With full postal address

RajKaj Ref
11508901

Signature Not Verified

Digitally signed by Subodh Kumar Nadeshwari
Designation : Executive Engineer
Date: 2024.10.30 11:30:49 IST
Reason: Approved